SKIPPER Limited

Date: 24.05.2025

To,
BSE Limited,
Listing Operation,
BSE Limited,
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001
BSE Scrip Code: 538562

To,
Manager - Listing Compliance,
National Stock Exchange of India Limited,
'Exchange Plaza' C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
NSE Symbol: SKIPPER

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Final Reminder- Cum-Forfeiture Notice towards First and Final Call Money for the purpose of Rights Issue under Regulation 30 read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In continuation to our intimation dated 23rd May 2025, please find attached the newspaper publication of Final reminder-cum-Forfeiture Notice made in:

Name of the Newspapers	Language	Edition
Jansatta	Hindi daily	Delhi, Lucknow and Chandigarh

Copies of the newspaper advertisement are enclosed herewith. The same are also available on the website of the Company at www.skipperlimited.com.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You.

For Skipper Limited

Anu Singh
Digitally signed by Anu Singh
Date: 2025.05.24 11:22:42 +05'30'

Anu Singh
(Company Secretary and Compliance Officer)

Place: Kolkata

Encl: as stated

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

प्रजनन अधिकार का अभिन्न हिस्सा है मातृत्व अवकाश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मई।

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, पहले पति से दो बच्चे होने के बावजूद वह इस लाभ की हकदार है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे पर जोर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न अंग है और प्रजनन अधिकारों को अब स्वास्थ्य, गोपनीयता, समानता और गैर-भेदभाव तथा सम्मान के अधिकार की तरह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का हिस्सा माना गया है।

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को भी खारिज कर दिया और कहा कि पहले पति से दो बच्चे होने के बावजूद वह इस लाभ की हकदार है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष से सहमत नहीं थी, जिसमें महिला को मातृत्व लाभ देने से इनकार किया गया था। फैसले में कहा गया है, इस प्रकार, जैसा कि देखा जा सकता है... विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से, विश्व समुदाय ने प्रजनन अधिकारों के व्यापक दायरे को मान्यता दी है, जिसमें मातृत्व लाभ भी शामिल है। इसके अनुसार, मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न अंग है।

प्रजनन अधिकारों को अब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के कई परस्पर संबद्ध क्षेत्रों के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार तथा सम्मान का अधिकार। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे पर जोर दिया, जो स्वास्थ्य, सम्मान और प्रजनन संबंधी विकल्प के अधिकार समेत जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायालय ने अनुच्छेद 42 का भी उल्लेख किया, जो काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत को अनिवार्य बनाता है और प्रशासनिक नियमों की कठोर व्याख्या की आलोचना करता है, जो बच्चों की संख्यात्मक सीमाओं के आधार पर ऐसे लाभों से इनकार करते हैं।

जलंधर के आप विधायक रमन अरोड़ा गिरफ्तार

चंडीगढ़, 23 मई (ब्यूरो)।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने जलंधर नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों के आरोपों के बाद शुक्रवार को आप विधायक रमन अरोड़ा को जलंधर स्थित आवास पर छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

रमन अरोड़ा (54) जलंधर सेंट्रल सीट से विधायक हैं। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी जलंधर में कुछ अधिकारियों के माध्यम से निर्दोष लोगों को भेजे गए कथित झूठे नोटिस से संबंधित है, जिसमें अरोड़ा की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह 8:45 बजे पंजाब सतर्कता ब्यूरो की टीमें उनके आवास पर पहुंची। अरोड़ा तब घर पर ही थे। अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया और अरोड़ा के घर से दस्तावेजों से भरे तीन बैग जब्त किए। इसके बाद वे दोपहर बाद विधायक को अपने साथ ले गए। विधायक अरोड़ा के खिलाफ शिकायतें मिली थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे नगर निगम जलंधर के अधिकारियों के माध्यम से निवासियों को धमकाकर फर्जी नोटिस भेजते थे और फिर उन नोटिसों का निपटान करने के बदले में पैसे ऐंठने का काम करते थे।

सतर्कता ब्यूरो की एक टीम अरोड़ा के रिश्तेदारों के घर भी गई, लेकिन घर पर ताला लगा होने के कारण उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि पंजाब के लोगों को एक बार फिर पता चल गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे हमारी पार्टी के हों या नहीं।

किसी भी अदालत को 'निचली' कहना संविधान के मूल्यों के विरुद्ध : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 23 मई (ब्यूरो)।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी अदालत को 'निचली अदालत' कहना संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह ने 1981 के एक हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए दो दोषियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।

पीठ के लिए फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति ओका ने कहा, फैसला सुनाने से पहले हम आठ फरवरी, 2024 के आदेश में दिए गए निर्देश को दोहराते हैं कि सुनवाई अदालत के रेकार्ड को 'निचली अदालत के रेकार्ड ' के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी अदालत को 'निचली अदालत' के रूप में वर्णित करना हमारे संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। न्यायाधीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने आदेश को प्रभावी बनाने के लिए पिछले वर्ष फरवरी में एक परिपत्र जारी किया था।

राजस्थानः भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त

जयपुर, 23 मई (भाषा)।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी है। देवनानी ने महाधिवक्ता की रपट मिलने के बाद शुक्रवार को यह फैसला किया।

अकलेरा की स्थानीय अदालत ने 14 दिसंबर 2020 को मीणा को 20 साल पुराने मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि देवनानी ने दोषसिद्धि की तिथि से अंता से विधायक कंवरलाल को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार देवनानी ने बताया कि कंवरलाल दोषसिद्धि की तिथि से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत निरर्हित हो गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि आज शुक्रवार को सुबह महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। देवनानी ने कहा कि वह किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करते।

एचएफसीएल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन– 173213 (हिमाचल प्रदेश)
दूरभाष : (91 1792) 230644, फैक्स नं.: (91 1792) 231902; ई–मेल : secretarial@hfcl.com
वेबसाइट : www.hfcl.com; निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : L64200HP1987PLC007466

31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

दिनाँक 31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों ('वित्तीय परिणामों') की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 मई 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया है।
सीमित समीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **https://www.hfcl.com/** पर प्रदर्शित किया गया है तथा इन्हें निम्न क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./–
(महेंद्र नहाटा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00052898

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 22 मई 2025

टिप्पणी : उपरोक्त जानकारी सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार दी गई है।

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 113/114ए, सैक्टर–24, फरीदाबाद–121005, हरियाणा
सीआईएनः L74899HR1968PLC004895; फोनः +91 129 4292200, फैक्सः +91 129 2232072
ई-मेलः voithfabrics.faridabad@voith.com, वेबसाईटः www.voithpaperfabricsindia.com

31 मार्च, 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष हेतु एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ मिलियन में, यदि अन्यथा दर्शित न हो)

क्र. सं.	विवरण	31/03/2025 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2024 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2025 को समाप्त वर्तमान वर्ष (अंकेक्षित)	31/03/2024 को समाप्त पूर्व वर्ष (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	563.96	487.60	2,066.23	1,942.91
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पूर्व)	152.74	102.76	537.26	487.95
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पश्चात्)	113.41	74.13	398.93	362.94
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के] (कृपया टिप्पणी 2 देखें)	112.13	71.40	397.92	361.71
5	समता अंश पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति अंश)	43.93	43.93	43.93	43.93
6	सुरक्षित (पुनर्मूल्यांकन सुरक्षित के अतिरिक्त, जैसा कि बैलेन्स शीट में प्रदर्शित है)			3,802.80	3,440.02
7	प्रति अंश आय (₹10/– प्रत्येक) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु)				
	– मूल	25.83	16.89	90.87	82.67
	– तरल	25.83	16.89	90.87	82.67

टिप्पणीः
1. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) के पास दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। ये वित्तीय परिणाम कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण के विषय स्वरुप थे, 22 मई 2025 को आयोजित उनकी सम्बंधित बैठकों में अंकेक्षण समिति द्वारा पुनर्निरिक्षित किए गए तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
उपरोक्त वित्तीय परिणामों को संपूर्ण प्रारूप, वैधानिक अंकेक्षकों की अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ बीएसई लिमिटेड को प्रेषित किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट http:www.voithpaperfabricsindia.com पर 'Investors Corner' कड़ी पर उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट http:www.bseindia.com पर 'Corporate' कड़ी के अन्दर 'Corporate Filing' अनुभाग में 'Financial Result' पर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।
2. ये वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के नियम 3 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु 100% की दर से लाभांश (अर्थात् ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंश पर ₹ 10 प्रति अंश), अंशधारकों के अनुमोदन के विषयरूप, अनुशंसा की है।

कृते वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
आर कृष्णा कुमार
प्रबन्धक निदेशक
डीआईएन : 05344619

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 मई 2025

कम्पनी की वेबसाइट पर वित्तीय परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

SKIPPER Limited स्किपर लिमिटेड
CIN: L40104WB1981PLC033408; **पंजीकृत कार्यालयः** 3ए, लाउडन स्ट्रीट, पहली मंजिल, कोलकाता–700017
टेलीफोन नंबरः 033 2289 5731/5732; फैक्स नंबरः (033) 2289 5733
संपर्क व्यक्तिः श्रीमती अनु सिंह (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)
ई–मेलः anu.singh@skipperlimited.com; **वेबसाइटः** www.skipperlimited.com

आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों के ध्यान के लिए
अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना
(भुगतान की अंतिम तिथि– शुक्रवार, 06 जून, 2025)

यह केवल सूचना उद्देश्यों के लिए एक विज्ञापन है और प्रकाशन, वितरण या विमोचन के लिए नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के बाहर कहीं और और इसे क्रमशः 11 नवंबर, 2024 और 04 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह कोई प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है। यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का अर्थ वही होगा जो उन्हें 17 जनवरी, 2024 की पेशकश पत्र में सौंपा गया है, जो बीएसई लिमिटेड ('**बीएसई**') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('**एनएसई**') के साथ दायर किया गया है, जो स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं (बीएसई और एनएसई को इसके बाद सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') कहा जाएगा।

आंशिक रूप से प्रदत्त अधिकार इक्विटी शेयरों के धारकों को अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना जिस पर कॉल मनी का भुगतान किया जाना है (आईएसआईएनः आईएनई439ई01012)

भुगतान की अंतिम तिथिः शुक्रवार, 06 जून, 2025

कंपनी अधिनियम, 2013 ('**अधिनियम**') के साथ पठित इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पहला और अंतिम कॉल नोटिस उन व्यक्तियों को जारी किया गया है जो सोमवार, 04 नवंबर, 2024 को कंपनी के सदस्य थे, जो रिकॉर्ड तिथि है।
इस संबंध में, कंपनी की राइट्स इश्यू कमेटी ('**समिति**') ने 20 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में, आंशिक रूप से प्रदत्त राइट्स इक्विटी शेयर पर 145.50 रुपये की पहली और अंतिम कॉल राशि के भुगतान के लिए अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस भेजने को मंजूरी दी (जिसमें 0.75 रुपये अंकित मूल्य और 144.75 रुपये प्रतिभूति प्रीमियम शामिल हैं) ("**अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस**") ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जिन पर पहले और अंतिम कॉल मनी का भुगतान ऐसे अवैतनिक पहले और अंतिम कॉल के भुगतान के लिए बकाया है। इस संबंध में, हम सूचित करना चाहते हैं कि अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जारी किया जा रहा है जिन पर पहला और अंतिम कॉल मनी बकाया है। तदनुसार, अंतिम–अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस की प्रेषण 21 मई, 2025 को उन सभी सदस्यों को शुरू कर दी गई है जिन्होंने कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है। अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस के अनुसार पहले और अंतिम कॉल मनी के भुगतान की अवधि शुक्रवार, 23 मई, 2025 से शुक्रवार, 06 जून, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक है। **जिन राइट्स इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी द्वारा शुक्रवार, 06 जून, 2025 को या उससे पहले पहला और अंतिम कॉल मनी प्राप्त नहीं किया जाता है, उन्हें बिना किसी और विस्तार/अनुस्मारक के जब्त कर लिया जाएगा।** भुगतान निम्नानुसार किया जाना हैः

	से	से	अवधि
भुगतान अवधि	**शुक्रवार, 23 मई, 2025**	**शुक्रवार, 06 जून, 2025**	**15 दिन (दोनों दिन शामिल)**
भुगतान का तरीका	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के संग्रह केंद्र (केंद्रों) के साथ चेक/डिमांड ड्राफ्ट जमा करें	ए. स्किपर लिमिटेड पहला और अंतिम कॉल मनी – एस्क्रो संग्रह – आर खाता (निवासी शेयरधारकों के लिए) बी. स्किपर लिमिटेड पहला और अंतिम कॉल मनी – एस्क्रो संग्रह – एनआर खाता (गैर – निवासी शेयरधारकों के लिए)	

आर–आवासीय शेयरधारक/एनआर – गैर–आवासीय शेयरधारक।
उत्कृष्ट प्रथम और अंतिम कॉल मनी और अंतिम–अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना के भुगतान के लिए विस्तृत निर्देश कंपनी की वेबसाइट https://www.skipperlimited.com/investor-relations/right-issue.aspx पर उपलब्ध हैं।
कृपया ध्यान दें कि पहले और अंतिम कॉल मनी का भुगतान करने में विफलता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आपके द्वारा रखे गए कंपनी के आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों को, जिसमें उस पर पहले से ही भुगतान की गई राशि भी शामिल है, अधिनियम के प्रावधानों, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और पेशकश पत्र के अनुसार जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। कंपनी आपको देय किसी भी लाभांश से, यदि कोई हो, आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के संबंध में कॉल के खाते में बकाया सभी राशियों को काटने की हकदार होगी।
इस संबंध में सभी पत्राचार महेशवरी डाटामैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित किए जा सकते हैं; यूनिट स्किपर लिमिटेड; 23, आर एन मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता–700001; संपर्क व्यक्तिः श्री रवि बहल; दूरभाषः 033 2248 2248; ई–मेल आईडीः mdpldc@yahoo.com

कृते स्किपर लिमिटेड
हस्ता/–
अनु सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 22 मई, 2025
स्थानः कोलकाता

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सैम शाखा दिल्ली, चौथी मंजिल, 7 भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली
ई–मेलः zs8343@pnb.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता)	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि B) तक बकाया राशि C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि D) कब्जे की प्रकृति (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (D) संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ज्ञात ऋण भार	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क
1.	सैमबी दिल्ली मैसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड (1.) मेसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड डी–98 कमला नगर दिल्ली 110007 (2.) सुश्री नीरू खुराना (गारंटर) पत्नी स्वर्गीय श्री सुधीर खुराना 7/19 रूप नगर दिल्ली (3.) श्री. प्रेम कुमार तनेजा (गारंटर) पुत्र जी.आर. तनेजा निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (4.) श्री. दुःखद है खुराना पुत्र स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्र श्रीमती कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (5.) सुश्री साक्षी खुराना पुत्री स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (6.) श्री. हर्ष इट अरोड़ा, सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) के पोते, निवासी 7/19 रूप नगर, दिल्ली 110007 (7.) सुश्री स्वाति अरोरा ग्रैंड डी/ओ सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (8.) सुश्री कविता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (9.) सुश्री कांता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) पत्नी मुकेश खन्ना मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब –143001 (10.) सुश्री कौशल्या देवी पत्नी श्री जी. आर. तनेजा (गारंटर) निवासीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (11.) स्वर्गीय सुश्री कमला खुराना (गारंटर) के अन्य सभी विधिक उत्तराधिकारी (स्वर्गीय) निवासीः डी–98 कमला नगर दिल्ली 110007, साथ हीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007, साथ हीः मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब 143001	प्लॉट नं. 174, ब्लॉक ई, औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी लाइन, राजस्व संपदा बसई दादरपुर, फेज–II, नई दिल्ली में श्रीमती कमला खुराना के नाम पर स्थित, क्षेत्रफल 418.50 वर्ग मीटर। (सांकेतिक कब्जे में)	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 06.02.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 5.84 करोड़ B) रु. 0.584 करोड़ C) रु. 0.02 करोड़	15.07.2025 11:00 बजे पूर्वा. से 04:00 बजे अप. तक	ज्ञात नहीं	पवन सिंह यादव मोबाइल नं.: 8595816855
		संपूर्ण निर्मित संपत्ति संख्या 19, ब्लॉक–7 (7/19), रूप नगर, दिल्ली–110007, प्लॉट क्षेत्रफल 510 वर्ग गज **(सांकेतिक कब्जे में)**	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 06.02.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 14.12 करोड़ B) रु. 1.412 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़			
		संपत्ति प्लॉट नं.–ए–91, स्कीम मालवीय नगर, कालगिरी रोड, जयपुर–302017 (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल 589.50 वर्ग मीटर, श्रीमती कौशल्या तनेजा पत्नी श्री जी.आर. तनेजा के नाम पर **(सांकेतिक कब्जे में)**	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 01.03.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 10.90 करोड़ B) रु. 1.09 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़			

नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है।
2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. प्रतिभूत परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से अधिक किसी भी राशि पर आरंभ होगी।
4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी। 5. अधिक जानकारी तथा बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://baanknet.com तथा www.pnbindia.in देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 22.05.2025 स्थान : दिल्ली
अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, कहा

कोटा शहर में ही विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मई।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा, 'आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? वकील ने कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि पर राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया और स्थिति को 'गंभीर' बताया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस साल अब तक शहर से आत्महत्या के 14 मामले सामने आए हैं।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा, 'आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? वकील ने कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था। शीर्ष अदालत आइआइटी, खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 वर्षीय छात्र की मौत के मामले की सुनवाई कर रही थी। छात्र 4 मई को अपने छात्रावास के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था।

न्यायालय एक अन्य मामले से भी निपट रहा है, जिसमें नीट परीक्षा की अभ्यर्थी एक लड़की कोटा में अपने कमरे में मृत मिली थी, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी। पीठ को पता चला कि आइआइटी खड़गपुर के छात्र की मौत के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 8 मई को दर्ज की गई एफआइआर में चार दिन की देरी पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा, इन बातों को हल्के में न लें। ये बहुत गंभीर बातें हैं। पीठ ने शीर्ष अदालत के 24 मार्च के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के बार-बार सामने आने वाले मामलों पर ध्यान दिया गया था और छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया था। पीठ ने शुक्रवार को कहा कि फैसले के अनुरूप ऐसे मामलों में प्राथमिकी का तुरंत दायर किया जाना आवश्यक है।

दिल्ली-एनसीआर में फिर पांव पसार रहा कोरोना संक्रमण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मई।

दिल्ली में 23,गाजियाबाद में चार, गुरुग्राम में दो व फरीदाबाद में एक मरीज मिला।

दिल्ली और एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि राजधानी में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 23 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, गाजियाबाद में चार, गुरुग्राम में दो और फरीदाबाद में एक नया मामला सामने आया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। निगरानी बढ़ाई जा रही है और जांच भी की जा रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली में पाए गए मरीज स्थानीय निवासी हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं। सरकार मरीजों का यात्रा इतिहास और संपर्कों की जांच कर रही है। वहीं, गुरुग्राम में दो मामले सामने आए हैं, जिनमें एक 31 वर्षीय युवती, जो हाल ही में मुंबई से यात्रा करके लौटी थी और एक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। दोनों को घर पर ही पृथकवास में रखा गया है। फरीदाबाद से सामने आए कोरोना संक्रमित को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के चार मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से तीन मरीज पृथकवास में है, जबकि एक मरीज निजी चिकित्सालय में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों के संपर्क में है।

आपरेशन सिंदूर में 'आकाशतीर' वायु रक्षा प्रणाली ने दिखाया दम : डीआरडीओ प्रमुख

नागपुर, 23 मई (भाषा)।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख समीर वी कामत ने भरोसा जताया है कि 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की स्वदेश निर्मित 'आकाशतीर' वायु रक्षा प्रणाली की सफलता दूसरे देशों को आकर्षित करेगी।

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित और पूरी तरह से स्वचालित 'आकाशतीर' वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को तैनात किया था, जो पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान नई युद्ध क्षमताओं की अदृश्य शक्ति के रूप में उभरी। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा,'निश्चित रूप से, हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और मुझे यकीन है कि अन्य देशों की भी इसमें रुचि होगी।' कामत ने नागपुर की यात्रा के दौरान भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त की।

राजस्थानः भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त

जयपुर, 23 मई (भाषा)।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी है। देवनानी ने महाधिवक्ता की रपट मिलने के बाद शुक्रवार को यह फैसला किया।

अकलेरा की स्थानीय अदालत ने 14 दिसंबर 2020 को मीणा को 20 साल पुराने मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि देवनानी ने दोषसिद्धि की तिथि से अंता से विधायक कंवरलाल को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार देवनानी ने बताया कि कंवरलाल दोषसिद्धि की तिथि से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत निरर्हित हो गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि आज शुक्रवार को सुबह महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। देवनानी ने कहा कि वह किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करते।

एचएफसीएल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन– 173213 (हिमाचल प्रदेश)
दूरभाष : (91 1792) 230644, फैक्स नं.: (91 1792) 231902; ई–मेल : secretarial@hfcl.com
वेबसाइट : www.hfcl.com; निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : L64200HP1987PLC007466

31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

दिनाँक 31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों ('वित्तीय परिणामों') की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 मई 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया है।
सीमित समीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **https://www.hfcl.com/** पर प्रदर्शित किया गया है तथा इन्हें निम्न क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./–
(महेंद्र नहाटा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00052898

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 22 मई 2025

टिप्पणी : उपरोक्त जानकारी सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार दी गई है।

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114ए, सैक्टर–24, फरीदाबाद–121005, हरियाणा
सीआईएनः L74899HR1968PLC004895; फोनः +91 129 4292200; फैक्सः +91 129 2232072
ई-मेलः voithfabrics.faridabad@voith.com; वेबसाईटः www.voithpaperfabricsindia.com

31 मार्च, 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष हेतु एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ मिलियन में, यदि अन्यथा दर्शित न हो)

क्र. सं.	विवरण	31/03/2025 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2024 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2025 को समाप्त वर्तमान वर्ष (अंकेक्षित)	31/03/2024 को समाप्त पूर्व वर्ष (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	563.96	487.60	2,066.23	1,942.91
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पूर्व)	152.74	102.76	537.26	487.95
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पश्चात्)	113.41	74.13	398.93	362.94
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल कर के] (कृपया टिप्पणी 2 देखें)	112.13	71.40	397.92	361.71
5	समता अंश पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति अंश)	43.93	43.93	43.93	43.93
6	सुरक्षित (पुर्नमूल्यांकन सुरक्षित के अतिरिक्त, जैसा कि बैलेन्स शीट में प्रदर्शित है)			3,802.80	3,440.02
7	प्रति अंश आय (₹10/– प्रत्येक) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु)				
	– मूल	25.83	16.89	90.87	82.67
	– तरल	25.83	16.89	90.87	82.67

टिप्पणीः
1. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) के पास दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। ये वित्तीय परिणाम कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण के विषय स्वरुप थे, 22 मई 2025 को आयोजित उनकी सम्बंधित बैठकों में अंकेक्षण समिति द्वारा पुनर्निरिक्षित किए गए तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
उपरोक्त वित्तीय परिणामों को संपूर्ण प्रारूप, वैधानिक अंकेक्षकों की अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ बीएसई लिमिटेड को प्रेषित किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट http:www.voithpaperfabricsindia.com पर 'Investors Corner' कड़ी पर उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट http:www.bseindia.com पर 'Corporate' कड़ी के अन्दर 'Corporate Filing' अनुभाग में 'Financial Result' पर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।
2. ये वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के नियम 3 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु 100% की दर से लाभांश (अर्थात् ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंश पर ₹ 10 प्रति अंश), अंशधारकों के अनुमोदन के विषयरुप, अनुशंसा की है।

कृते वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
आर कृष्णा कुमार
प्रबन्धक निदेशक
डीआईएन : 05344619

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 मई 2025

कम्पनी की वेबसाइट पर वित्तीय परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

SKIPPER स्किपर लिमिटेड

CIN: L40104WB1981PLC033408; **पंजीकृत कार्यालयः** 3ए, लाउडन स्ट्रीट, पहली मंजिल, कोलकाता–700017
टेलीफोन नंबरः 033 2289 5731/5732; फैक्स नंबरः (033) 2289 5733
संपर्क व्यक्तिः श्रीमती अनु सिंह (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)
ई–मेलः anu.singh@skipperlimited.com; **वेबसाइटः** www.skipperlimited.com

आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों के ध्यान के लिए
अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना
(भुगतान की अंतिम तिथि– शुक्रवार, 06 जून, 2025)

यह केवल सूचना उद्देश्यों के लिए एक विज्ञापन है और प्रकाशन, वितरण या विमोचन के लिए नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के बाहर कहीं और और इसे क्रमशः 11 नवंबर, 2024 और 04 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह कोई प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है। यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का अर्थ वही होगा जो उन्हें 17 जनवरी, 2024 की पेशकश पत्र में सौंपा गया है, जो बीएसई लिमिटेड (**'बीएसई'**) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (**'एनएसई'**) के साथ दायर किया गया है, जो स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं (बीएसई और एनएसई को इसके बाद सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') कहा जाएगा।

आंशिक रूप से प्रदत्त अधिकार इक्विटी शेयरों के धारकों को अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना जिस पर कॉल मनी का भुगतान किया जाना है (आईएसआईएनः आईएनई439ई01012)

भुगतान की अंतिम तिथिः शुक्रवार, 06 जून, 2025

कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) के साथ पठित इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पहला और अंतिम कॉल नोटिस उन व्यक्तियों को जारी किया गया है जो सोमवार, 04 नवंबर, 2024 को कंपनी के सदस्य थे, जो रिकॉर्ड तिथि है।
इस संबंध में, कंपनी की राइट्स इश्यू कमेटी (**'समिति'**) ने 20 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में, आंशिक रूप से प्रदत्त राइट्स इक्विटी शेयर पर 145.50 रुपये की पहली और अंतिम कॉल राशि के भुगतान के लिए अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस भेजने को मंजूरी दी (जिसमें 0.75 रुपये अंकित मूल्य और 144.75 रुपये प्रतिभूति प्रीमियम शामिल हैं) (**"अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस"**) ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जिन पर पहले और अंतिम कॉल मनी का भुगतान ऐसे अवैतनिक पहले और अंतिम कॉल के भुगतान के लिए बकाया है।
इस संबंध में, हम सूचित करना चाहते हैं कि अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जारी किया जा रहा है जिन पर पहला और अंतिम कॉल मनी बकाया है। तदनुसार, अंतिम–अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस की प्रेषण 21 मई, 2025 को उन सभी सदस्यों को शुरू कर दी गई है जिन्होंने कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है। अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस के अनुसार पहले और अंतिम कॉल मनी के भुगतान की अवधि शुक्रवार, 23 मई, 2025 से शुक्रवार, 06 जून, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक है। **जिन राइट्स इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी द्वारा शुक्रवार, 06 जून, 2025 को या उससे पहले पहला और अंतिम कॉल मनी प्राप्त नहीं किया जाता है, उन्हें बिना किसी और विस्तार/अनुस्मारक के जब्त कर लिया जाएगा।** भुगतान निम्नानुसार किया जाना हैः

भुगतान अवधि	से	से	अवधि
	शुक्रवार, 23 मई, 2025	शुक्रवार, 06 जून, 2025	15 दिन (दोनों दिन शामिल)
भुगतान का तरीका	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के संग्रह केंद्र (केंद्रों) के साथ चेक/डिमांड ड्राफ्ट जमा करें	ए. स्किपर लिमिटेड पहला और अंतिम कॉल मनी – एस्क्रो संग्रह – आर खाता (निवासी शेयरधारकों के लिए) बी. स्किपर लिमिटेड पहला और अंतिम कॉल मनी – एस्क्रो संग्रह – एनआर खाता (गैर – निवासी शेयरधारकों के लिए)	

आर–आवासीय शेयरधारक/एनआर – गैर–आवासीय शेयरधारक।
उत्कृष्ट प्रथम और अंतिम कॉल मनी और अंतिम–अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना के भुगतान के लिए विस्तृत निर्देश कंपनी की वेबसाइट https://www.skipperlimited.com/investor-relations/right-issue.aspx पर उपलब्ध हैं।
कृपया ध्यान दें कि पहले और अंतिम कॉल मनी का भुगतान करने में विफलता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आपके द्वारा रखे गए कंपनी के आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों को, जिसमें उस पर पहले से ही भुगतान की गई राशि भी शामिल है, अधिनियम के प्रावधानों, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और पेशकश पत्र के अनुसार जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। कंपनी आपको देय किसी भी लाभांश से, यदि कोई हो, आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के संबंध में कॉल के खाते में बकाया सभी राशियों को काटने की हकदार होगी।
इस संबंध में सभी पत्राचार महेशवरी डाटामैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित किए जा सकते हैं; यूनिट स्किपर लिमिटेड; 23, आर एन मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता–700001; संपर्क व्यक्तिः श्री रवि बहल; दूरभाषः 033 2248 2248; ई–मेल आईडीः mdpldc@yahoo.com

कृते स्किपर लिमिटेड
हस्ता/–
अनु सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 22 मई, 2025
स्थानः कोलकाता

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक — punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सैम शाखा दिल्ली, चौथी मंजिल, 7 भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली
ई–मेलः zs8343@pnb.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जैसा है जहाँ है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता)	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि B) तक बकाया राशि C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि D) कब्जे की प्रकृति (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (D) संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ज्ञात ऋण भार	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क
1.	सैमबी दिल्ली / मैसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड / (1.) मेसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड डी–98 कमला नगर दिल्ली 110007 (2.) सुश्री नीरू खुराना (गारंटर) पत्नी स्वर्गीय श्री सुधीर खुराना 7/19 रूप नगर दिल्ली (3.) श्री. प्रेम कुमार तनेजा (गारंटर) पुत्र जी.आर. तनेजा निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (4.) श्री. दुःखद है खुराना पुत्र स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्र श्रीमती कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (5.) सुश्री साक्षी खुराना पुत्री स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (6.) श्री. हर्ष इट अरोड़ा, सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) के पोते, निवासी 7/19 रूप नगर, दिल्ली 110007 (7.) सुश्री स्वाति अरोरा ग्रैंड डी/ओ सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (8.) सुश्री कविता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (9.) सुश्री कांता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) पत्नी मुकेश खन्ना मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब –143001 (10.) सुश्री कौशल्या देवी पत्नी श्री जी. आर. तनेजा (गारंटर) निवासीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (11.) स्वर्गीय सुश्री कमला खुराना (गारंटर) के अन्य सभी विधिक उत्तराधिकारी (स्वर्गीय) निवासीः डी–98 कमला नगर दिल्ली 110007, साथ हीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007, साथ हीः मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब 143001	प्लॉट नं. 174, ब्लॉक ई, औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी लाइन, राजस्व संपदा बसई दादरपुर, फेज–II, नई दिल्ली में श्रीमती कमला खुराना के नाम पर स्थित, क्षेत्रफल 418.50 वर्ग मीटर। (सांकेतिक कब्जे में)	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 06.02.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 5.84 करोड़ B) रु. 0.584 करोड़ C) रु. 0.02 करोड़	15.07.2025 11:00 बजे पूर्वा. से 04:00 बजे अप. तक	ज्ञात नहीं	पवन सिंह यादव मोबाइल नं.: 8595816855
		संपूर्ण निर्मित संपत्ति संख्या 19, ब्लॉक–7 (7/19), रूप नगर, दिल्ली–110007, प्लॉट क्षेत्रफल 510 वर्ग गज (सांकेतिक कब्जे में)	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 06.02.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 14.12 करोड़ B) रु. 1.412 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़			
		संपत्ति प्लॉट नं.–ए–91, स्कीम मालवीय नगर, कालगिरी रोड, जयपुर–302017 (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल 589.50 वर्ग मीटर, श्रीमती कौशल्या तनेजा पत्नी श्री जी.आर. तनेजा के नाम पर (सांकेतिक कब्जे में)	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 01.03.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 10.90 करोड़ B) रु. 1.09 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़			

नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जा रही है।
2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. प्रतिभूत परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से अधिक किसी भी राशि पर आरंभ होगी।
4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी। 5. अधिक जानकारी तथा बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://baanknet.com तथा www.pnbindia.in देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 22.05.2025 स्थान : दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, कहा

कोटा शहर में ही विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मई।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोटा शहर में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि पर राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया और स्थिति को 'गंभीर' बताया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि इस साल अब तक शहर से आत्महत्या के 14 मामले सामने आए हैं।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा, 'आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? वकील ने कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था। शीर्ष अदालत आइआइटी, खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 वर्षीय छात्र की मौत के मामले की सुनवाई कर रही थी। छात्र 4 मई को अपने छात्रावास के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा, 'आप एक राज्य के रूप में क्या कर रहे हैं? ये छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? वकील ने कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था।

न्यायालय एक अन्य मामले से भी निपट रहा है, जिसमें नीट परीक्षा की अभ्यर्थी एक लड़की कोटा में अपने कमरे में मृत मिली थी, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी। पीठ को पता चला कि आइआइटी खड़गपुर के छात्र की मौत के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 8 मई को दर्ज की गई एफआइआर में चार दिन की देरी पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा, इन बातों को हल्के में न लें। ये बहुत गंभीर बातें हैं। पीठ ने शीर्ष अदालत के 24 मार्च के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के बार-बार सामने आने वाले मामलों पर ध्यान दिया गया था और छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया था। पीठ ने शुक्रवार को कहा कि फैसले के अनुरूप ऐसे मामलों में प्राथमिकी का तुरंत दायर किया जाना आवश्यक है।

दिल्ली-एनसीआर में फिर पांव पसार रहा कोरोना संक्रमण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मई।

दिल्ली और एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि राजधानी में 22 मई तक कोरोना संक्रमण के कुल 23 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, गाजियाबाद में चार, गुरुग्राम में दो और फरीदाबाद में एक नया मामला सामने आया है।

दिल्ली में 23,गाजियाबाद में चार, गुरुग्राम में दो व फरीदाबाद में एक मरीज मिला।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। निगरानी बढ़ाई जा रही है और जांच भी की जा रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली में पाए गए मरीज स्थानीय निवासी हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं। सरकार मरीजों का यात्रा इतिहास और संपर्कों की जांच कर रही है। वहीं, गुरुग्राम में दो मामले सामने आए हैं, जिनमें एक 31 वर्षीय युवती, जो हाल ही में मुंबई से यात्रा करके लौटी थी और एक सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। दोनों को घर पर ही पृथकवास में रखा गया है। फरीदाबाद से सामने आए कोरोना संक्रमित को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के चार मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से तीन मरीज पृथकवास में है, जबकि एक मरीज निजी चिकित्सालय में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों के संपर्क में है।

आपरेशन सिंदूर में 'आकाशतीर' वायु रक्षा प्रणाली ने दिखाया दम : डीआरडीओ प्रमुख

नागपुर, 23 मई (भाषा)।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख समीर वी कामत ने भरोसा जताया है कि 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की स्वदेश निर्मित 'आकाशतीर' वायु रक्षा प्रणाली की सफलता दूसरे देशों को आकर्षित करेगी।

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित और पूरी तरह से स्वचालित 'आकाशतीर' वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को तैनात किया था, जो पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान नई युद्ध क्षमताओं की अदृश्य शक्ति के रूप में उभरी। डीआरडीओ प्रमुख ने कहा,'निश्चित रूप से, हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और मुझे यकीन है कि अन्य देशों की भी इसमें रुचि होगी।' कामत ने नागपुर की यात्रा के दौरान भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त की।

राजस्थानः भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त

जयपुर, 23 मई (भाषा)।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी है। देवनानी ने महाधिवक्ता की रपट मिलने के बाद शुक्रवार को यह फैसला किया।

अकलेरा की स्थानीय अदालत ने 14 दिसंबर 2020 को मीणा को 20 साल पुराने मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि देवनानी ने दोषसिद्धि की तिथि से अंता से विधायक कंवरलाल को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार देवनानी ने बताया कि कंवरलाल दोषसिद्धि की तिथि से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत निरर्हित हो गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि आज शुक्रवार को सुबह महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। देवनानी ने कहा कि वह किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करते।

एचएफसीएल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन– 173213 (हिमाचल प्रदेश)
दूरभाष : (91 1792) 230644, फैक्स नं.: (91 1792) 231902; ई–मेल : secretarial@hfcl.com
वेबसाइट : www.hfcl.com; निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : L64200HP1987PLC007466

31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

दिनाँक 31 मार्च 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही तथा वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों ('वित्तीय परिणामों') की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा कंपनी के निदेशक मंडल ने 22 मई 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया है।
सीमित समीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **https://www.hfcl.com/** पर प्रदर्शित किया गया है तथा इन्हें निम्न क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता./–
(महेंद्र नहाटा)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00052898

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 22 मई 2025

टिप्पणी : उपरोक्त जानकारी सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार दी गई है।

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114ए, सैक्टर–24, फरीदाबाद–121005, हरियाणा
सीआईएनः L74899HR1968PLC004895; फोनः +91 129 4292200; फैक्सः +91 129 2232072
ई-मेलः voithfabrics.faridabad@voith.com; वेबसाईटः www.voithpaperfabricsindia.com

31 मार्च, 2025 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वर्ष हेतु एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ मिलियन में, यदि अन्यथा दर्शित न हो)

क्र. सं.	विवरण	31/03/2025 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2024 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित)	31/03/2025 को समाप्त वर्तमान वर्ष (अंकेक्षित)	31/03/2024 को समाप्त पूर्व वर्ष (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	563.96	487.60	2,066.23	1,942.91
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पूर्व)	152.74	102.76	537.26	487.95
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पश्चात)	113.41	74.13	398.93	362.94
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल कर के] (कृपया टिप्पणी 2 देखें)	112.13	71.40	397.92	361.71
5	समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति अंश)	43.93	43.93	43.93	43.93
6	सुरक्षित (पुर्नमूल्यांकन सुरक्षित के अतिरिक्त, जैसा कि बैलेन्स शीट में प्रदर्शित है)			3,802.80	3,440.02
7	प्रति अंश आय (₹10/– प्रत्येक) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु)				
	– मूल	25.83	16.89	90.87	82.67
	– तरल	25.83	16.89	90.87	82.67

टिप्पणीः

1. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) के पास दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। ये वित्तीय परिणाम कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण के विषय स्वरुप थे, 22 मई 2025 को आयोजित उनकी सम्बंधित बैठकों में अंकेक्षण समिति द्वारा पुनर्निरिक्षित किए गए तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
   उपरोक्त वित्तीय परिणामों को संपूर्ण प्रारूप, वैधानिक अंकेक्षकों की अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ बीएसई लिमिटेड को प्रेषित किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट http:www.voithpaperfabricsindia.com पर 'Investors Corner' कड़ी पर उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट http:www.bseindia.com पर 'Corporate' कड़ी के अन्दर 'Corporate Filing' अनुभाग में 'Financial Result' पर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।
2. ये वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के नियम 3 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु 100% की दर से लाभांश (अर्थात् ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंश पर ₹ 10 प्रति अंश), अंशधारकों के अनुमोदन के विषयरूप, अनुशंसा की है।

कृते **वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./–
आर कृष्णा कुमार
प्रबन्धक निदेशक
डीआईएन : 05344619

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22 मई 2025

कम्पनी की वेबसाइट पर वित्तीय परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

SKIPPER Limited

स्किपर लिमिटेड

CIN: L40104WB1981PLC033408; **पंजीकृत कार्यालयः** 3ए, लाउडन स्ट्रीट, पहली मंजिल, कोलकाता–700017
टेलीफोन नंबरः 033 2289 5731/5732; फैक्स नंबरः (033) 2289 5733
संपर्क व्यक्तिः श्रीमती अनु सिंह (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)
ई–मेलः anu.singh@skipperlimited.com; **वेबसाइटः** www.skipperlimited.com

आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों के ध्यान के लिए

अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना
(भुगतान की अंतिम तिथि– शुक्रवार, 06 जून, 2025)

यह केवल सूचना उद्देश्यों के लिए एक विज्ञापन है और प्रकाशन, वितरण या विमोचन के लिए नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के बाहर कहीं और और इसे क्रमशः 11 नवंबर, 2024 और 04 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह कोई प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है। यहां उपयोग किए गए सभी पूंजीकृत शब्दों और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का अर्थ वही होगा जो उन्हें 17 जनवरी, 2024 की पेशकश पत्र में सौंपा गया है, जो बीएसई लिमिटेड (**'बीएसई'**) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (**'एनएसई'**) के साथ दायर किया गया है, जो स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं (बीएसई और एनएसई को इसके बाद सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') कहा जाएगा।

आंशिक रूप से प्रदत्त अधिकार इक्विटी शेयरों के धारकों को अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना जिस पर कॉल मनी का भुगतान किया जाना है (आईएसआईएनः आईएनई439ई01012)

भुगतान की अंतिम तिथिः शुक्रवार, 06 जून, 2025

कंपनी अधिनियम, 2013 (**'अधिनियम'**) के साथ पठित इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पहला और अंतिम कॉल नोटिस उन व्यक्तियों को जारी किया गया है जो सोमवार, 04 नवंबर, 2024 को कंपनी के सदस्य थे, जो रिकॉर्ड तिथि है।

इस संबंध में, कंपनी की राइट्स इश्यू कमेटी (**'समिति'**) ने 20 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में, आंशिक रूप से प्रदत्त राइट्स इक्विटी शेयर पर 145.50 रुपये की पहली और अंतिम कॉल राशि के भुगतान के लिए अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस भेजने को मंजूरी दी (जिसमें 0.75 रुपये अंकित मूल्य और 144.75 रुपये प्रतिभूति प्रीमियम शामिल हैं) (**"अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस"**) ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जिन पर पहले और अंतिम कॉल मनी का भुगतान ऐसे अवैतनिक पहले और अंतिम कॉल के भुगतान के लिए बकाया है।

इस संबंध में, हम सूचित करना चाहते हैं कि अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस ऐसे आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के धारकों को जारी किया जा रहा है जिन पर पहला और अंतिम कॉल मनी बकाया है। तदनुसार, अंतिम–अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस की प्रेषण 21 मई, 2025 को उन सभी सदस्यों को शुरू कर दी गई है जिन्होंने कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है। अंतिम अनुस्मारक–सह–जब्ती नोटिस के अनुसार पहले और अंतिम कॉल मनी के भुगतान की अवधि शुक्रवार, 23 मई, 2025 से शुक्रवार, 06 जून, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक है। **जिन राइट्स इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी द्वारा शुक्रवार, 06 जून, 2025 को या उससे पहले पहला और अंतिम कॉल मनी प्राप्त नहीं किया जाता है, उन्हें बिना किसी और विस्तार/अनुस्मारक के जब्त कर लिया जाएगा।** भुगतान निम्नानुसार किया जाना हैः

भुगतान अवधि	से	से	अवधि
	शुक्रवार, 23 मई, 2025	शुक्रवार, 06 जून, 2025	15 दिन (दोनों दिन शामिल)
भुगतान का तरीका	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के संग्रह केंद्र (केंद्रों) के साथ चेक/डिमांड ड्राफ्ट जमा करें	ए. स्किपर लिमिटेड पहला और अंतिम कॉल मनी – एस्क्रो संग्रह – आर खाता (निवासी शेयरधारकों के लिए) बी. स्किपर लिमिटेड पहला और अंतिम कॉल मनी – एस्क्रो संग्रह – एनआर खाता (गैर – निवासी शेयरधारकों के लिए)	

आर–आवासीय शेयरधारक/एनआर – गैर–आवासीय शेयरधारक।

उत्कृष्ट प्रथम और अंतिम कॉल मनी और अंतिम–अनुस्मारक–सह–जब्ती सूचना के भुगतान के लिए विस्तृत निर्देश कंपनी की वेबसाइट https://www.skipperlimited.com/investor-relations/right-issue.aspx पर उपलब्ध हैं।

कृपया ध्यान दें कि पहले और अंतिम कॉल मनी का भुगतान करने में विफलता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, आपके द्वारा रखे गए कंपनी के आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों को, जिसमें उस पर पहले से ही भुगतान की गई राशि भी शामिल है, अधिनियम के प्रावधानों, कंपनी के एसोसिएशन के लेख और पेशकश पत्र के अनुसार जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। कंपनी आपको देय किसी भी लाभांश से, यदि कोई हो, आंशिक रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयरों के संबंध में कॉल के खाते में बकाया सभी राशियों को काटने की हकदार होगी।

इस संबंध में सभी पत्राचार महेश्वरी डाटामैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को संबोधित किए जा सकते हैं; यूनिट स्किपर लिमिटेड; 23, आर एन मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता–700001; संपर्क व्यक्तिः श्री रवि बहल; दूरभाषः 033 2248 2248; ई–मेल आईडीः mdpldc@yahoo.com

कृते स्किपर लिमिटेड
हस्ता/–
अनु सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 22 मई, 2025
स्थानः कोलकाता

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank

.......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

सैम शाखा दिल्ली, चौथी मंजिल, 7 भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली
ई–मेलः zs8343@pnb.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता)	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि B) तक बकाया राशि C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि D) कब्जे की प्रकृति (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (D) संपत्ति निरीक्षण तिथि और समय	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में ज्ञात ऋण भार	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क
1.	सैमबी दिल्ली मैसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड (1.) मेसर्स सुधीर एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड डी–98 कमला नगर दिल्ली 110007 (2.) सुश्री नीरू खुराना (गारंटर) पत्नी स्वर्गीय श्री सुधीर खुराना 7/19 रूप नगर दिल्ली (3.) श्री. प्रेम कुमार तनेजा (गारंटर) पुत्र जी.आर. तनेजा निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (4.) श्री. दुःखद है खुराना पुत्र स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्र श्रीमती कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (5.) सुश्री साक्षी खुराना पुत्री स्वर्गीय श्री. सुधीर खुराना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (6.) श्री. हर्ष इट अरोड़ा, सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) के पोते, निवासी 7/19 रूप नगर, दिल्ली 110007 (7.) सुश्री स्वाति अरोरा ग्रैंड डी/ओ सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (8.) सुश्री कविता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) निवासी 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (9.) सुश्री कांता खन्ना पुत्री सुश्री कमला खुराना (स्वर्गीय) पत्नी मुकेश खन्ना मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब –143001 (10.) सुश्री कौशल्या देवी पत्नी श्री जी. आर. तनेजा (गारंटर) निवासीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007 (11.) स्वर्गीय सुश्री कमला खुराना (गारंटर) के अन्य सभी विधिक उत्तराधिकारी (स्वर्गीय) निवासीः डी–98 कमला नगर दिल्ली 110007, साथ हीः 7/19 रूप नगर दिल्ली 110007, साथ हीः मकान नंबर 5ए/8 पश्मीना हाउस, सर्कुलर रोड अमृतसर, पंजाब 143001	प्लॉट नं. 174, ब्लॉक ई, औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी लाइन, राजस्व संपदा बसई दादरपुर, फेज–II, नई दिल्ली में श्रीमती कमला खुराना के नाम पर स्थित, क्षेत्रफल 418.50 वर्ग मीटर। (सांकेतिक कब्जे में)	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 06.02.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 5.84 करोड़ B) रु. 0.584 करोड़ C) रु. 0.02 करोड़	15.07.2025 11:00 बजे पूर्वा. से 04:00 बजे अप. तक	ज्ञात नहीं	पवन सिंह यादव मोबाइल नं.: 8595816855
		संपूर्ण निर्मित संपत्ति संख्या 19, ब्लॉक–7 (7/19), रूप नगर, दिल्ली–110007, प्लॉट क्षेत्रफल 510 वर्ग गज (सांकेतिक कब्जे में)	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 06.02.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 14.12 करोड़ B) रु. 1.412 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़			
		संपत्ति प्लॉट नं.–ए–91, स्कीम मालवीय नगर, कालगिरी रोड, जयपुर–302017 (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल 589.50 वर्ग मीटर, श्रीमती कौशल्या तनेजा पत्नी श्री जी.आर. तनेजा के नाम पर (सांकेतिक कब्जे में)	A) 05.10.2024 B) रु. 66,39,20,528.83 तिथि 30.09.2024, ब्याज, बैंक प्रभार एवं वसूली हेतु बैंक द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क सहित C) 01.03.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) रु. 10.90 करोड़ B) रु. 1.09 करोड़ C) रु. 0.05 करोड़			

नियम एवं शर्तें : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है।
2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. प्रतिभूत परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से अधिक किसी भी राशि पर आरंभ होगी।
4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी। 5. अधिक जानकारी तथा बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://baanknet.com तथा www.pnbindia.in देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 22.05.2025 स्थान : दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार